

दैनिक रोकठोक लेखनी

R

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

सरकार पर आरोप लगाने वालों की हो जाएगी बोलती बंद...॥

झग माफिया की गिरफतारी पर बोले फडणवीस

मुंबई, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि गिरफतार ड्रग डॉन ललित पाटिल शिवसेना-यूबीटी नेता था, जो पहली बार दिसंबर 2020 में पकड़ा गया था लेकिन ड्रग्स के मामले में उससे कभी पूछताछ नहीं की गई।

फडणवीस ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि दिसंबर 2020 में उसकी गिरफतारी के बाद उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, और तुरंत पुणे के ससुन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फडणवीस ने साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में कुछ और खुलासे करेंगे क्योंकि जांच चल रही है, और इसके बाद 'सरकार पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों की बोलती बंद हो जाएगी।'



डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा, "इसके बाद, सरकार ने उनके स्वास्थ्य से संबंधित या उसे मेडिकल बोर्ड के सामने रखने के लिए कोई आवेदन नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि आज तक ललित पाटिल से इन्हें बड़े ड्रग्स भंडाफोड़ मामले में पूछताछ या जांच नहीं की गई।

चूंकि उस समय पाटिल शिवसेना (यूबीटी) के नासिक शहर का अध्यक्ष था, इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या ड्रग डॉन को उनकी राजनीतिक स्थिति के कारण विशेष रात ही दी गई थी।"

डिप्टी सीएम ने सवाल किया, "क्या अधिकारियों पर इस मामले में उनसे पूछताछ नहीं करने का दबाव था, क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री (उद्घव ठाकरे) या तत्कालीन गृह मंत्री किसी भी तरह से इसमें शामिल थे... ये सवाल हैं जो अब उठते हैं।"

मुंबई पुलिस ने मैफेड्रेन (एमडी) दवा बनाने वाली दो अवैध फैक्ट्रिंग का भंडाफोड़ करने के बाद पाटिल को गिरफतार किया था और वह तब से हिरासत में है।

उद्घव ठाकरे व शरद पवार के खिलाफ महाराष्ट्र में आंदोलन करेगी भाजपा

मुंबई, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वह शनिवार से पूरे महाराष्ट्र में हर विधानसभा क्षेत्र में उद्घव ठाकरे व शरद पवार के खिलाफ तेज आंदोलन करेगी।

महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बाबुनकुले ने आज नागपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि महा विकास अघाडी के नेता उद्घव और शरद पवार युवाओं के अंदर सरकारी भर्तियों को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं।



भाजपा ने जानकारी दी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती के लिए 9 टेंडर निकाले गए थे और इस तरह की भर्ती का फैसला महा विकास अघाडी की सरकार में ही लिया गया था। बीजेपी अध्यक्ष बाबुनकुले ने कहा कि उद्घव ठाकरे यदि आपने निर्णय लिया है तो बताइए कि अपने निर्णय लिया है, आप एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को क्यों बदनाम कर रहे हैं। अपना पाप इन नेताओं के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं।



भाजपा के आरोपों पर विपक्षी दलों की ओर से भी जवाब दिया गया है। विधानसभा के विपक्ष नेता विजय वेडेटीवर ने कहा कि अगर ये फैसला महा विकास अघाडी के शासनकाल में लिया गया था तो सरकार बदलने के बाद इसे रद्द करने की जिम्मेदारी अलग कर दिए जाएंगे। भाजपा ने ऐलान किया कि इसी कारण वह इन नेताओं के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने जा रही है।

सीरियल किलर बनी 22 साल की वैज्ञानिक, 20 दिन में 5 लोगों को मारा, इस केमिकल का किया इस्तेमाल



भूमि दुरुपयोग मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिवसेना (यूबीटी) विधायक रवींद्र वायकर को सोमवार को तलब किया है। अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा, बृहन्मुंबई नगर निगम को कथित तौर पर गुमराह करने और 2021 में जनवरी और जुलाई के बीच अवैध रूप से एक लक्जरी होटल के निर्माण के लिए धोखाधड़ी की अनुमति प्राप्त करने के लिए उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। एफआईआर के अनुसार, जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड के किनारे स्थित भूमि खेल और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए आरक्षित थी और सार्वजनिक उपयोग के लिए बाइकर और अन्य को आवंटित की गई थी लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों रुपये कमाने के लिए किया।



अधिकारी ने बताया कि साल्वी जब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से एक विमान से हवाई अड्डे पर पहुंचा तो आव्रजन अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और ठाणे शहर पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, साल्वी जबरन वसूली के एक मामले के सिलसिले में वालिंग था, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी ने 2017 में रोमा बिल्डर्स के महेंद्र पमनानी से 10 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की मांग की थी। उन्होंने बताया कि पुजारी ने पमनानी को कथित

तौर पर जान से मारने की धमकी भी दी थी और ठाणे में बिल्डर के कार्यालय में शार्पशूटर भेजे थे।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कथित आरोपी को आनेयास्त्रों के साथ गिरफतार किया था। उन्होंने बताया कि साल्वी के खिलाफ कस्तूरबा मार्ग, समता नगर और कसाराड़ावली पुलिस थानों में हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। भूमि दुरुपयोग मामले में शिवसेना (यूबीटी) विधायक उद्देश्यों के लिए करोड़ों रुपये कमाने के लिए किया।

महाराष्ट्र के कसारा घाट में ट्रक दुर्घटना, दो की मौत

ठाणे, महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक के बीच कसारा घाट पर एक ट्रक के बाटी में गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना बृहस्पतिवार को तड़के उड़ाने से उसके बाटे वाले से लोगों की मौत हो गई, जबकि ट्रक का चालक घायल हो गया। कसारा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि घायल को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

गैंगस्टर रवि पुजारी का करीबी हवाई अड्डे से गिरफतार दंगलाई के मामले में था वांछित

मुंबई, मुंबई पुलिस को बड़ी कामयादी हाथ लगी है। दरअसल, पुलिस ने यहां छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जबरन वसूली के मामले में वालिंग गैंगस्टर रवि पुजारी के एक करीबी को गिरफतार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

शहर की अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार को विजय पुरुषोत्तम साल्वी उर्फ विजय ताम्बत को गिरफतार किया, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि ट्रक 400 फुट नीचे लुढ़क कर घाटी में जा गिरा, जिससे वाहन में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि ट्रक का चालक घायल हो गया। कसारा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि घायल को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।



अधिकारी ने बताया कि साल्वी जब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से एक विमान से हवाई अड्डे पर पहुंचा तो आव्रजन अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और ठाणे शहर पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, साल्वी जबरन वसूली के एक मामले के सिलसिले में वालिंग था, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी ने 2017 में रोमा बिल्डर्स के महेंद्र पमनानी से 10 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की मांग की थी। उन्होंने बताया कि पुजारी ने पमनानी को कथित



संपादकीय / लेख



दूरसंचार कंपनियों का बढ़ेगा बोझ

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा जुलाई 1999 के बाद चुकाए गए लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाए, न कि राजस्व व्यय। यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र के लिए चुनौती पेश कर सकता है क्योंकि वह पहले ही वित्तीय तिथि से जूझ रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस

फैसल शेख (प्रधान संपादक)

निर्णय के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय के उन फैसलों को उलट दिया है जो दूरसंचार कंपनियों के पक्ष में गए थे। बीते वर्षों के दौरान लाइसेंस शुल्क कैसे चुकाया जाए और उसे किस मद में शामिल किया जाए, इसे लेकर कई तरह के बदलाव सामने आए हैं। इसकी वजह से नीतिगत अनिश्चितता आई है और कारोबार में अनिश्चितता पैदा हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय से क्षेत्र के लिए मामला और जटिल हो सकता है। यह क्षेत्र पहले से ही दो कंपनियों के दबदबे के खिलाफ से जूझ रहा है। पहले की अवधि के लिए आय कर की मांग की संभावना के कारण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने पुरानी तारीख से कर भुगतान की आशंका उत्पन्न कर दी है क्योंकि लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाएगा, न कि राजस्व व्यय। विशेषकों ने संकेत दिया है कि अतीत के बकाये का आकलन करना मुश्किल होगा। उन्होंने संकेत किया कि अगर कर अधिकारी अतीत की किसी कंपनी के लिए मांग करते हैं तो भारती एयरटेल और बोडाफोन इंडिया जैसी पुरानी कंपनियों को एकबारी काफी धनराशि चुकानी पड़ सकती है। लाइसेंस शुल्क की परिभाषा में बदलाव दिक्कतदेह हो सकता है क्योंकि फिलहाल दूरसंचार कंपनियों लाइसेंस शुल्क को राजस्व व्यय के खाते में डालकर मुनाफे का आकलन करती हैं।

अगर लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाने लगा तो इसे लाइसेंस की अवधि यानी 20 वर्षों में चुकाना होगा और मुनाफे का आकलन भी उसी के मुताबिक किया जाएगा। इस स्थिति में लाइसेंस के शुरुआती वर्षों में कर का स्तर अधिक होगा। बीते वर्षों के दौरान नीतिगत बदलाव तथा न्यायालयीन निर्णयों से इस विषय की जटिलता को समझा जा सकता है। सन 1999 की नई दूरसंचार नीति में कहा गया कि दूरसंचार कंपनियों को एकमुश्त प्रवेश शुल्क देना होगा और उसके बाद अपने राजस्व के प्रतिशत के रूप में वे लाइसेंस शुल्क चुकाएंगी। सात वर्ष बाद 2006 में एक आकलन अदेश पारित करके कहा गया कि राजस्व व्यय को लाइसेंस अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से चुकाता किया जाएगा।

अगले वर्ष यानी 2007 में लाइसेंस शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया गया। ऐसा नई दिल्ली के आयकर आयुक्त के निर्णय के मुताबिक किया गया। छह वर्ष बाद यानी 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह मुद्दा फिर उठा। न्यायालय के निर्णय में सन 1999 के पहले और 1999 के बाद के लाइसेंस शुल्क में भेद किया गया। कहा गया कि 31 जुलाई, 1999 तक चुकाए जाने वाले लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाए और 1 अगस्त, 1999 के बाद राजस्व साझेदारी के आधार पर चुकाए जाने वाले लाइसेंस शुल्क को राजस्व व्यय माना जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दलील दी कि लाइसेंस शुल्क व्यय को पूंजीगत व्यय नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसे समायोजित सकल राजस्व के मुताबिक राजस्व के रूप में चुकाया जाता है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

राज्य के मुख्यमंत्री एकजाथ शिंदे ने कुला पूर्व क्षेत्र के विकास में आ रही बाधओंको पर अधिकारियों के साथ बैठक...



मुंबई (फिरोज़ सिहीकी) कुला विधान सभा की प्रति लंबित पड़ी हुई नागरिक समयाओं को सुलझाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किया ! कलेक्टर लैंड संदर्भ जमीन हस्तांतरण करने के संबंध में वसूला जाने वाला १० ते १५ प्रतिशत अधिमुल्य शुल्क कम कर के ५ प्रतिशत करने की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है !

कलेक्टर लैंड गृहनिर्माण संस्था के सभासद हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ करने की व्यावस्था व सभासद हस्तांतरण जिल्हाधिकारी स्तर पर करने की मांग किया गया है ! जिसको लेकर बहुत जल्द जिल्हाधिकारी कार्यालय की ओर से सभासद हस्तांतरण करने की विशेष मोहीम लिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री आश्वासित किया। नेहरू नगर, टिळ्क नगर सहित विभिन्न म्हाडा इमारतों

की बस्तियों में दस से पंधरा वर्षों का समय गुजरने के बाद भी पुनर्विकसि की हुई इमारतों को अभी तक अद्याप ओकूपेंट प्रमाणपत्र (OC) नहीं है ! परिणाम रवरूप उपरोक्त गृहनिर्माण संस्थाओं को अभय योजना लाकर ओकूपेंट प्रमाणपत्र (OC) प्रक्रिया सुलभ करने की मांग किया है ! इस संदर्भ में मुख्यमंत्री इस तरह की

इमारतों की जांच कर के ओकूपेंट प्रमाणपत्र प्रक्रिये को लेकर संबंधित संस्थाओं को किस प्राकार से सहयोग हो पायेगा इस बारे में म्हाडा अधिकारियों को निर्देश दिये ! सन १९९८ से बकाया सेवा शुल्क व उसके ऊपर लगाया गया दंडात्मक व्याज रह करने की मांग किया गया ! उपरोक्त विषय को मुख्यमंत्री ने

महाराष्ट्र राज्य में वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान रद्द करने की मांग ने पकड़ा जोर



मुंबई (फिरोज़ सिहीकी) बताते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा, विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक उसी जगह पर विभिन्न राजनीतिक पार्टीयों द्वारा जनहित के राजनीतिक मुद्दों को उछाल कर जनता की हितेषी बनने की होड़ मची है। इसी कटी में जनता के समर्थन में मनसे के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी मैदान में ऑनलाइन चालान के विरोध में। कहा जाता है कि देशभर के विभिन्न राज्यों में उन्नीस, कर्नाटक में कोरोना लॉक डाउन के समय से शुरू ऑनलाइन चालान वाहन चालकों के कई लाखों रुपए दंड की शक्ति में ऑनलाइन चालान थोपे जा रहे हैं।

जिसको लेकर सर्वप्रथम महाराष्ट्र में ऑनलाइन चालानों को रद्द करने की मांग मनसे प्रदेश

दशहरे से एक दिन पहले रावण को मारने का दबाव... मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड का सताधारी दल पर आरोप



शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में कहा है कि हर साल दशहरा पर रावण के वध के साथ ही रामलीला का समापन होता है। पिछले 48 वर्षों से रामलीला की यही परंपरा है। हालांकि बताया गया है कि सरकार पर इस परंपरा को तोड़कर दशहरे से एक दिन पहले रावण को मारने या इस रामलीला को दूसरी जगह शिफ्ट करने का दबाव है।

उन्होंने कहा कि रामलीला लोगों की आस्था का विषय है। आजाद मैदान में रामलीला की यह परंपरा पिछले 48 वर्षों से अटूट है। अब आप केवल विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसमें हस्तक्षेप करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि यह भारतीय संस्कृति और लोगों की आस्था का अंपमान है और हम इसे कभी बर्दाशत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए दशहरा मेला एवं रामलीला को एक दिन खत्म करना या रामलीला को अन्यत्र स्थानांतरित करना उचित नहीं है। वर्षा गायकवाड ने मुख्यमंत्री एकनाथ



भीमशक्ती सम्मान पुरस्कार 2023 आंडेकरी आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान



मुंबई (फिरोज़ सिंहीकी) ६७ वे धर्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर भीमशक्ती सम्मान पुरस्कार सहित आंडेकरी आंदोलन मुहिम में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान राज्य के सबसे बड़े आंडेकरी नेता के तौर पर बहुचर्चित भीम शक्ति संघटन के संस्थापक व पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे के हाथों ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक पिंपरी पुणे में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गैरतलब हो की भीमशक्ती विद्यार्थी आधाड़ी पिंपरी चंद्रकांत हंडोरे के हाथों ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक पिंपरी पुणे में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गैरतलब हो की भीमशक्ती विद्यार्थी आधाड़ी पिंपरी चंद्रकांत हंडोरे के हाथों ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक पिंपरी पुणे में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अरब सागर में आ सकता है चक्रवात



मुंबई : भारत मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अरब सागर में 'तेज' चक्रवात आ सकता है। इस चक्रवात में ६० किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। यही नहीं मौसम विभाग ने मुंबई सहित आसापास के क्षेत्रों में भारी बारिश भी होने का अनुमान जताया है, इसलिए उन्होंने मुंबईकरों से सावधान रहने की अपील की है। यही नहीं इससे बारिश की वजह से मुंबई में होनेवाले विश्वकृप मैंचों पर भी खतरा भी मंडराने लगा है। बता दें कि २१-२४ अक्टूबर और २-७ नवंबर को मुंबई में मैंचों का आयोजन किया गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अरब सागर के दक्षिण-पूर्व में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले दो-तीन दिनों में 'तेज' चक्रवात में बदल सकता है।

युवाओं की नाराजगी की वजह से ठेका भर्ती का जीआर रद्द: पटेले

मुंबई : ठेका भर्ती का जीआर रद्द करने के सरकार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में पुलिस समेत अहम विभागों में सविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। इस फैसले से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं में काफी गुस्सा था। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ मजबूती से खड़ा रहते हुए भाजपा सरकार को बेनकाब करने का काम किया। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को यह एहसास हो गया कि युवाओं की नाराजगी की वजह से चुनाव में



उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब शर्मिंदगी का एहसास होने के बाद बीजेपी सरकार को सविदा भर्ती के जीआर को रद्द करने का फैसला करना पड़ा है। लेकिन ऐसा करने हुए भी देवेन्द्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ही बेनकाब कर

दिया, क्योंकि ये दोनों नेता आधाड़ी सरकार में काम कर चुके हैं। पटेले ने इस संबंध में भाजपा सरकार और देवेन्द्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती का फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री मुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण ने लिया था। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो यह यह भर्ती सरकार द्वारा की जा रही थी और बाद में इन कर्मचारियों की सेवा को बरकरार रखा गया। हालांकि वर्तमान सरकार में नौकरी भर्ती एक निजी कंपनी द्वारा की जा रही है।

ईडी के मामले, सीबीआई जांच या धन के अनुचित आवंटन को समाप्त करना है तो भाजपा सरकार को बाहर करना होगा - पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई : ईडी के मामले, सीबीआई जांच या धन के अनुचित आवंटन को समाप्त करना है तो भाजपा सरकार को बाहर करना होगा। इसकी शुरूआत लोकसभा से होगी, यह बात पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कही। लोकसभा में भाजपा की हार हुई, तो विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि, पुनः लोकतंत्र नहीं रहेगा, इसका मुझे यकीन है, ऐसा भी पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा।



भाजपा के खिलाफ इडिया एक उम्मीदवार चुनाव में उत्तरेगा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के लिए तीनों पार्टियां एक साथ बैठेंगी। सभी अपनी पार्टियों की ताकत बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके कारण थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर किसी

प्रकार की समस्या नहीं होगी, ऐसा भी चव्हाण ने कहा। भाजपा सरकार को ईडी मामले, सीबीआई मामले या धन के अनुचित आवंटन को खत्म करना है तो भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। इसकी शुरूआत लोकसभा से होगी, ऐसा पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा

कि अगर लोकसभा में भाजपा की हार होती है तो विधानसभा में कोई चुनौती नहीं रहेगी। अगर लोकसभा में इडिया को हार स्वीकार करनी पड़ी, तो विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि, पुनः लोकतंत्र नहीं रहेगा, इसका मुझे यकीन है, ऐसा भी पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा।

इग मामले में गिरफ्तार आरोपी ललिल पाटीले ने कहा कि मैं भागा नहीं था, बल्कि मुझे भगाया गया था। इस बारे में पूछे जाने पर पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, 'तेलगी मामले में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे। बाद में उस मामले को दबा दिया गया। उसी प्रकार सत्ता में बैठी सरकार मामले को दबा देगी, क्योंकि इसमें कुछ मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं।

कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का आदेश करेंगे एट... MVA पर आयोग लगा डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया एलाज



मुंबई : महाराष्ट्र में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा। राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शुक्रवार को एलाज किया कि वह अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए जारी सरकारी आदेश को रद्द कर देंगे। साथ ही उन्होंने इस आदेश को लाने के लिए पिछली सरकारों पर आयोग मढ़ा। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि इस कदम से वचित समुदायों के लोग अवसरों से वचित हो जाएंगे। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अनुबंध के आधार पर पहली भर्ती 2003 में की गई थी, जब कांग्रेस-एनसीपी सरकार सत्ता में थी। हम ऐसा नहीं चाहते। महा विकास अधाड़ी सरकार ने पाप किया है और इसके लिए हमें दोषी ठहराया जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से इस बारे

में चर्चा की है। हमने उके पर भर्ती पर सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को रद्द करने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा, 'पैनल में शामिल नौ एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध पर कर्मचारियों को रखने का निर्णय उद्घाट ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने लिया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस पर राज्य में ड्रग माफिया को बचाने का आरोप लगाया। वह महाराष्ट्र में मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे के विरोध में नासिक में एक मार्च में शामिल होने से पहले प्रतकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फडणवीस विपक्ष के बारे में सब कुछ जानते हैं। वह ड्रग माफिया के बारे में कैसे नहीं जानता? वह ड्रग माफिया और उन लोगों को बचा रहे हैं, जो हफ्ता ले रहे हैं। 300 करोड़ रुपये के मेरेझोन जब्ती मामले में ललिल पाटील को मुख्य आरोपी बताने पर राउत ने कहा कि वास्तव में ड्रग माफियाओं के दोस्त विधानसभा में बैठे हैं। यह महाराष्ट्र की दुर्दशा है कि हमारे पास ऐसा गृह मंत्री है।



साढ़े तीन सालों में ५७ हजार करोड़ रुपए का झोल

मुंबई : देश की केंद्र सरकार आम जनता से उसके खून-पसीने की कमाई को जीएसटी के रूप में वसूलती है। साथ ही केंद्र सरकार आए दिन जीएसटी वसूलने को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है। दूसरी ओर जीएसटी छोरी के मामले भी सामने आते हैं। अब सवाल यहां ये बनता है कि सरकार जब जीएसटी सिस्टम लाई तो कोई झोल न हो सके, इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की। बता दें कि सरकार के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से पिछले साढ़े तीन सालों में ५७ हजार करोड़ रुपए का झोल हुआ है।



अक्सर भोले-भाले व्यक्तियों का उपयोग करते हैं और उन्हें नौकरी, कमीशन, बैंक लोन का लालच देकर उनसे उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, जिसके जरिए बिना उनकी जानकारी और सहमति के बैंगर फर्जी, शेल फर्म या कंपनियां खोल लिया जाता है। जीएसटी की छोरी को रोकने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलीजेंस ने देशभर में अपने खुफिया नेटवर्क को विकसित करती है। इसके बाद जीएसटी छोरी को रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से नए क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाती है।

केंद्र सरकार ने दावा किया था कि जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवाकर लागू होने के बाद लोगों को कई तरह के टैक्स से मुक्ति मिलेगी और सामान सस्ते होंगे। सच तो ये है कि जीएसटी उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया।

गैरतरलब है कि जीएसटी छोरी का पता लगाने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस बड़ा अधियान चला रही है। इस अधियान के तहत विभाग ने बड़े पैमाने पर फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के मामलों का पता लगाया है। डीजीजीआई ने बीते तीन वर्षों में ५७,००० करोड़ रुपए के कुल १,०४० फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों का पता लगाया है, जिसमें अब तक ९१ लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस जीएसटी छोरी को रोकने के लिए बीते तीन वर्षों से स्पेशल ड्राइव चला रही और अप्रैल २०२० से सितंबर २०२३ तक चलाए गए टैक्स सिंडिकेट

छात्रों की अमानत राशि.. विधानमंडल में जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवाल



मुंबई : राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एडमिशन के समय छात्रों से अमानत राशि जमा कराई जाती है, लेकिन कई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी पैसे वापस नहीं लेते हैं। इसलिए यह राशि कॉलेजों के पास ही पड़ी रहती है। ऐसे में इस अव्ययित निधि के आवंटन की नीति निर्धारित की गई है। इसके अनुसार, यदि कोई छात्र शिक्षा पूरी होने के बाद दो साल के भीतर अमानत राशि वापस नहीं लेता है तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यह राशि खर्च करने की अनुमति दी गई है। इस निधि का उपयोग पुस्तकालय की किताबें, प्रयोगशाला अद्यतन, शिक्षा, गैर शिक्षा कर्मचारी प्रशिक्षण जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में छात्रों के हाथ मलने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचेगा। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को छात्र की शिक्षा पूरी होने के बाद अमानत राशि वापस करनी होती है, लेकिन इसके लिए आवेदन करने जैसी तकनीकी प्रक्रिया छात्रों को खुद ही करनी पड़ती है। इन झाँझटों से बचने के लिए कई छात्र अमानत राशि

वापस ही नहीं लेते हैं। इसलिए यह राशि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पास वैसे ही पड़ी रहती है। ऐसे में सूचना के अधिकार से यह जानकारी सामने आई है कि कई छात्रों की अमानत राशि के लाखों रुपए कई वर्षों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़े हुए हैं। इसी के तहत विधानमंडल में जन प्रतिनिधियों द्वारा सवाल उठाए गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में अमानत राशि के आवंटन की नीति निर्धारित की गई। इन्हाँने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।

छात्र शिक्षा पूरी होने के बाद प्रमाणपत्रों की प्रतियां लेने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय आते हैं। उसी समय छात्रों को पैसे वापस कर देने चाहिए। पास होने के बाद छात्र दो साल के भीतर अमानत राशि नहीं निकालते हैं।

एमबीबीएस दिग्गी पाठ्यक्रमों के लिए 100 से अधिक छात्र अयोग्य घोषित



मुंबई : राज्य में एमबीबीएस दिग्गी पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किए गए अंतिम काउंसिलिंग राउंड में एडमिशन पानेवाले १०० से अधिक छात्रों के प्रवेश को नेशनल मेडिकल कमीशन (राष्ट्रीय विकित्सा आयुर्विज्ञान आयोग) ने अयोग्य घोषित कर दिया है। संस्थानों ने छात्रों को प्रवेश देने समय कई मानदंडों के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलीजेंस ने देशभर में अपने खुफिया नेटवर्क को विकसित करती है। इसके बाद जीएसटी छोरी को रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से नए क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाती है।

बर्बाद होने की आशंका है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने निर्देश दिया था कि केंद्रीय स्तर पर सभी दाखिले ऑनलाइन किए जाएं। कॉलेज अथवा संस्थागत स्तर पर की गई काउंसिलिंग को मजूरी नहीं दी गई। लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में रिक्त एमबीबीएस प्रवेश के लिए रिक्त इन सीटों को काउंसिलिंग और अंतिम राउंड में कॉलेज स्तर पर भरने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस राउंड को करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में काउंसिलिंग राउंड में दाखिले को अवैध घोषित कर रद्द करने का निर्देश दिया है। इससे इन छात्रों का एक साल

दहिसर में मनपा बना रही है स्काईवॉक बनने के पहले ही स्थानीय लोग करने लगे विरोध मनपा पर लगाया 30 करोड़ फिजूल खर्च का आरोप



मुंबई: मनपा प्रशासन ने दहिसर पश्चिम में स्काईवॉक बनाने का निर्णय लिया है इस जगह पर पहले भी स्काईवॉक बना हुआ था। मनपा अब दोबारा ३० करोड़ रुपया खर्च कर इसी जगह पर स्काईवॉक बनाने का निर्णय लिया है। स्काईवॉक गरुड़लों का अड्डा बना रहता है इसी के चलते पिछली बार भी स्थानीय लोगों के विरोध और जर्जर होने पर उसे ढाला गया था। मनपा अब फिर ७ साल बाद स्काईवॉक बनाने का निर्णय लिया है। काग्रेस की स्थानीय पूर्व नगरसेविका शीतल म्हात्रे ने मनपा के इस निर्णय का अभी से विरोध करने की चेतावनी दी है और मनपा के खिलाफ मोर्चा निकालने की चेतावनी दी है और लोगों का पैसा ठेकेदारों की जीव भरने का आरोप लगाया। बता दें की मनपा ने दहिसर पश्चिम में लंबे इंतजार के बाद नया स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया है। यह स्काई वॉक के बाइंकों द्वारा उत्तरोपरी लोगों की परेशानीयां दूर होती हैं। स्काईवॉक पर मनपा ३० करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की उम्मीद जारी है। यह ८५० मीटर लंबा स्काई

वॉक होगा। ठेकेदारों को इसे १५ महीने में बना कर मनपा को सौंपना होगा। मनपा अधिकारी ने बताया कि एमएमआरडीए ने जो स्काईवॉक बनाया था उसी जगह पर यह बनाया जाएगा। इससे दहिसर स्टेशन पर उत्तरने वालों को सीधा स्काईवॉक से आगे जाने का मौका मिलेगा, उन्हें रोड पार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारी ने इस बात को माना कि पहले इस स्काईवॉक का उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंद होने के बाद भी इस स्काईवॉक का कोई भी उपयोग नहीं करता सिर्फ जुआरियों और गरुड़लों का अड्डा बनता है जिससे लोगों को और परेशानी बढ़ेगी। जिसके चलते उन्होंने आमनागरिकों के टैक्स का पैसा ठेकेदारों की जीव भरने का आरोप लगाया। बता दें कि स्काईवॉक के बदले मनपा अस्पताल आदि बानकर लोगों को सुविधा देती तो लोगों की परेशानीयां दूर होती हैं। स्काईवॉक पर मनपा ३० करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की उम्मीद रहती है। यह ८५० मीटर लंबा स्काई